>

Title: Need to review the New Exploration Licensing Policy and bring the functioning of Production Sharing Contract (PSC) under the control of CAG to check the possibility of irregularities in accounting.

श्री हर्ष वर्धन (महाराजगंज, उ.प्र.): प्रकृति द्वारा संरक्षित तेल एवं प्राकृतिक गैस राष्ट्र की संपदा हैं। देश की राष्ट्रीय संपदा का लाभ इस देश के सौ करोड़ से ऊपर भारतीय पाने के असली हकदार हैं।

वर्ष 2000 में सरकार द्वारा बनाई गई नयी अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) के अंतर्गत उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) में व्यय का लेखा-जोखा संवैधानिक संस्था (सीएजी) द्वारा कराए जाने से बाध्यकारी नहीं बनाया गया।

नयी अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के अन्वेषण हेतु आज तक 85 उत्पाद हिस्सेदारी संविदाएं सरकार द्वारा निजी कंपनियों से की गई हैं। इस उत्पाद हिस्सेदारी संविदाओं का व्यय में प्रयुक्त होने वाली धनराशि लाखों करोड़ रूपयों में है।

राष्ट्रीय संपदा से संबंधित इस उत्पाद हिस्सेदारी संविदा के लेखा व्यय की परीक्षा के प्रावधान को संवैधानिक संस्था सीएजी की परिधि में नहीं रखना लाखों हजार करोड़ रूपए की इस संविदाओं में भारी अनियमितताओं की संभवनाओं को जन्म देता है।

मेरा आग्रह है कि सरकार की पारदर्शिता नीति की अवधारणा को संरक्षित रखने हेतु देश की राष्ट्रीय संपदा निजी कंपनियों के हित साधन के स्थान पर इस देश के करोड़ों आम नागरिकों का हित साधन कर सके इसके लिए सरकार तत्काल उत्पाद हिस्सेदारी संविदा के लेखा परीक्षा के प्रावधानों में संशोधन कर इसके लेखा परीक्षा को अनिवार्य रूप से संवैधानिक संस्था सीएजी की परिधि में लाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें।